संख्या–3281/60–1–14–1/16(147)/95

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊः: दिनांक 31 दिसम्बर, 2014

विषयः– महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन किशोर न्याय अधिनियम, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम तथा गैर अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं के अंशकालिक चिकित्सकों, अंशकालिक शिक्षकों एवं स्वच्छकारों के प्रचलित मानदेय में वृद्धि किये जाने के सम्बंध में है।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् शासनादेश संख्या–4495/60–1–10–1/16(147)95 दिनांक 17.01.2011 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन किशोर न्याय अधिनियम, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम तथा गैर अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं मे कार्यरत अंशकालिक चिकित्सकों, का मानदेय रू0 3,000/– से बढ़ाकर रू0 8,000/– प्रतिमाह, अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय रू0 2,000/– से बढ़ाकर रू0 7,000/– एवं शासनादेश संख्या–1951/60–1–11–1/16(147)/95, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 के क्रम में स्वच्छकारों का मानदेय रू0 2,000/– से बढ़कार रू0 6,000/– प्रतिमाह मानदेय तत्काल प्रभाव से दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपरोक्त के सम्बंध में सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्ते यथावत लागू रहेगीं तथा उक्त शासनादेशों को इसी सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

3– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–49 के लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–102–बाल कल्याण –आयोजेनेत्तर–13–संस्थानों गृहों का संचालन–42–अन्य व्यय के नाम में डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–3–2619/दस–2014, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–3281/60–1–14, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, महिला कल्याण, उ0प्र0।
4– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।
5– समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।